

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक क्लर्क  
(SDO) बायल..... मुकाम.....

..... खान राम ..... बनाम ..... जगमाल सिंह वीर


किस्म मुकदमा ..... 111, 128 RLE नं ..... 09/2022 सन् 2022


तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खान राम चौधरी</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLE</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/02/2022</u> को पेश हो।</p> <p>21/02/2022</p> <p>प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्रार्थी जगमाल सिंह वीर नोटिस जारी रजिस्ट्रार एडी अजमेर जज्जे जिनकी डिप्लेट वास्ते प्रार्थी पक्षील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली विपक्ष जज्जे कीमत चौधरी के अधिभार का डोटपर डिग्न डाफ्त में पत्रावली से मिलाव इत्यादि डोटपर जज्जे दिनांक - 14/03/2022 को पेश की।</p>	सहायक क्लर्क बायल

14/03/2022

अज अर  
ख इकम

प्राची वहील उपानिमत / विधाधी...  
 डी जहिमे रजिस्टर्ड एडी गोविंद सुयन...  
 ही गडी विधाधीगण बावसुड सुयन प्रतुवपा...  
 न्यायालय सम्य तीन वाट कावाज लगार्ई गडी  
 प्रैलिम कावाज 5:45 PM पर लगार्ई गडी विधाधी  
 गण स्वये या उन्ही प्रो हे डीई सचिवकला  
 उपानिमत नही इसा लिवाजा विधाधीगणो डे किलड  
 एडवरका शोधकायी समल से लाई जाली हे प्रत!  
 वाले कदल पभावपी दिनांक- 23/03/2022 डी  
 पेडा ही।

  
 सहायक कलक्टर  
 (SDO) बायतु



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तेख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

न व तारीख अहकाम  
जो इस हुक्म की  
तामिल में जारी हुए

23/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर  
(300) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/ 187

प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 23/3/2022  
विप्रार्थीगण

1. खानुराम पुत्र गुमनाराम,  
जाति जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी,  
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. जगमालसिंह पुत्र पदमाराम वगैरा 22,  
जाति जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी,  
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 09/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - खुमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 367/234 रकबा 6.0784 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2022/ 188 - 192

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खानुराम पुत्र गुमनाराम,
4. विप्रार्थी श्री जगमालसिंह पुत्र पदमाराम वगैरा 22,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:-

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु